उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 2226 वि0प्रे0ख0–गा0)/ दिनांक 12.11.2022

विषय : उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशनकारपोरेशन लि० ,वाराणसी द्वारा 400 के० वी० अनपरा –वाराणसी डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन ,प्रभाग में 98.28हे० आरक्षित वन भूमि ,ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे० आरक्षित वन भूमि ,सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे० आरक्षित वन भूमि ,मिर्ज़ापुर वन प्रभाग में 37.51 हे० आरक्षित वन भूमि एवम् कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28हे० आरक्षित वन भूमि के बिना **वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।**

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट

संदर्भ :-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी ,पर्यावरण,वन एवम् जलवायु विभाग ,उ० प्र० ,लखनऊ। पत्रांक 962 /11 –सी –FP /UP/Trans/32650/2018,लखनऊ दिनांक 12,2022 ,कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ,रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट सोनभद्र –(उ०प्र०)पत्रांक 976/रेनुकूट /15-7 दिनांक सितम्बर 16,2022

महोदय ,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार मागी गयी सूचना का विवरण निम्नवत है।

	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map ,Sol Toposheet ,10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राकलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के ० एम० एल० फाइल सलग्न नही किया है । अत: सलग्न कर आनलाइन भाग -2 में यथास्थान पर अपलोड करे।	बिंदु संख्या 1 एवम् 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है के क्रम में अवगत कराना है किउक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है।
2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बोने मुख्यत: ओषधीय पोधो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्रकलन सलग्न नही किया गया है । अत: सलग्न कर आन लाइन भाग -2 में अपलोड करे	
3	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विशलेषण में एन० पी०वी ० की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूण है । अत : इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन० पी०वी ० की दर के अनुसार लागत लाभ विशलेषण प्रस्ताव में संलग्न करे तथा आनलाइन भाग -2 से पूर्व का त्रुटिपूण लागत लाभ विशलेषण को डिलीट कर संशोधित अपलोड करे।	महोदय स्तर से होना है
4	प्रस्ताव में दंडात्मक एन० पी०वी० की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन० पी०वी० गणनामें दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.22 के अनुसार नही है ।अत: संशोधित एन० पी०वी० की दर के अनुसार दंडात्मक एन० पी०वी० की गणना संलग्न करे तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग -2 के addition Information Detail से डिलिट कर अपलोड करे।	बिंदु सं० 4,5 एवम् 6 के क्रम में 400 के० वी०अनपरा –वाराणसी डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी -197/91-एफ०सी ०दि०1.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था ।जिसमे कोई समय सीमा नही दी गई है ,एवम् इसके क्रम में उप सचिव उ०प्र०शासन के आदेश स०जी आई०/444/14-2-93-707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। सयुक्त सचिव उ ० प्र ० शासन के आदेश पत्र के बिंदु संख्या 03में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। "उक्त भूमि उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशनकारपोरेशन लि०) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी"। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था । लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक 320 वि०प्रे०ख०।।(व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के कारणतथा कोई स्पष्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारणप्रकिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उलघन से सम्बन्धित गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018, नए वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व में दिए गए अनुमति से। अत: उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नही किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मे कोई समय सीमा का उल्लेख नही है अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर

		पत्रांक 320 वि०प्रे०ख०।।(व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उलघन न माना जाये। तथा दंडात्मक एन० पी०वी० न लगाया जाये।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ,हार्ड कॉपी भाग -2 (हिंदी वर्जन) के क्रमांक -6 तथा ऑनलाइन भाग -2 के क्रमांक -12 में उलघन न किये जाने का उल्लेख है , जो कि ओचित्य पूण नही है। अत: स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकॉपी भाग -2 तथा ऑनलाइन भाग -2 में उलघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग -2से पूर्व का त्रुटिपूण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकॉपी भाग -2 डिलीट कर अपलोड करे।	
6	दंडात्मक एन० पी० वी०जमा किये जाने की वचन बद्यता प्रस्ताव में पुन: संलग्न नही की गई है ।	

अत : आप से अनुरोध है कि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दर्शाई गई कमियों /आपतियो (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र को प्रेषित करने का कष्ट करे , जिससे लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं–(गा0) दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, (पा0द0पू0), 57–जार्ज टाउन प्रयागराज।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0 द्वितीय, वाराणसी।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता